



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102021-230571  
CG-DL-E-21102021-230571

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4009]  
No. 4009]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 20, 2021/आश्विन 28, 1943  
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 20, 2021/ASVINA 28, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2021

का.आ. 4359(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, हरियाणा राज्य में मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की दादरी-पानीपत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिये पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री आशीष वर्णवाल, अनुरक्षण प्रबंधक, मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइन, पानीपत को सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/5/2021-जीपी-II]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd September, 2021

**S.O. 4359(E).**— In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri Ashish Varnawal, Maintenance Manager, M/s. Indian Oil Corporation Limited Northern Region Pipelines, Panipat to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for Dadri – Panipat Natural Gas Pipeline of M/s. Indian Oil Corporation Limited in the State of Haryana.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/5/2021-GP-II]

RAKESH MISHRA, Under Secy.